संख्या 105 /XI /06/56(71)/2003

प्रेषक,

पी0एस0जंगपांगी
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल पौड़ी

ग्राम्य विकास अनुभाग: देहरादून दिनांक 15 फरवरी,2006

विषय: सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष आवंटित केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश आवंटन के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3221 दिनांक 10–01–2006 तथा शासनादेश संख्या 1537/XI /06/56(71)/2003 दिनांक 12 जनवरी, 2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में शासनादेश संख्या बी–24015/26/2004–एस.जी.आर.वाई–प्रथम/क्रमांक–119,दिनांक06.12.2005,संख्या बी–24015/26/2004 –एस.जी.आर.वाई–प्रथम/ क्रमांक–107, दिनांक 02.12.2005, संख्या बी–24015/26/2004–एस.जी.आर. वाई–प्रथम / क्रमांक–124, दिनांक 08.12.2005, संख्या बी–24015/26/2004–एस.जी.आर.वाई–प्रथम / क्रमांक–135, दिनांक 19.12.2005 एवं संख्या बी–24015/26/2004–एस.जी.आर.वाई–प्रथम / क्रमांक–131, दिनांक 14.12.2005 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि **रूपये 3,36,87,000–00 (रू0 तीन करोड़ छत्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र)** निम्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की निम्न शर्तों /प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रमांक	जनपद का नाम	केन्द्रांश की धनराशि	अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि	राज्यांश की धनराशि का वर्गवार विभाजन		
				सामान्य अंश	अनुसूचित जाति अंश	जनजाति अंश
1	चमोली	217.21	72.40	58.64	13.76	–
2	उत्तरकाशी	55.13	18.38	14.89	3.49	–
3	हरिद्वार	236.56	78.85	63.87	14.98	–
4	देहरादून	190.89	63.63	29.82	12.09	21.72
5	टिहरी	310.83	103.61	83.93	19.68	–
	योग:–	1010.62	336.87	251.15	64.00	21.72

(रू0 तीन करोड़ छत्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र)

2. उक्त धनराशि का आहरण यथा आवश्यक स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

3– उक्त धनराशि का आवंटन वर्तमान नियमों / आदेशों तथा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा । धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा ।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय–समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/ गाइडलाईन्स के अनुसार योजना के अंतर्गत किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से भारत सरकार / राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाय । धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा

कमश: 2 पर

5- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का समस्त दायित्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी का होगा ।

6- कार्य करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूलस/ डी.जी.एस. एण्ड डी. अथवा टैन्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जावेग।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं एवं परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा ।

8- धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा और उपभोग प्रमाण-पत्र राज्य सरकार व भारत सरकार को समय से प्रेषित कर दिया जायेगा ।

9- योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति में व्यय भारत सरकार द्वारा योजना के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार ही किया जाय जो कि किसी भी स्थिति में राज्य में इन जातियों हेतु निर्धारित आरक्षण से कम नही होगी ।

10- उक्त पैरा 2 से 9 तक में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात नियंत्रक / मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे । यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय

11- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2501 - ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- 01- समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम- 800- अन्य व्यय -आयोजनागत- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें---09- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना(75प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) (जिला योजना)-42-अन्य व्यय से रूपये 251.15 लाख अनुदान संख्या-30-के लेखाशीर्षक-2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- 01- समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम- 800- अन्य व्यय -आयोजनागत-02- अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 05-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना(75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) (जिला योजना) -20-सहायक अनुदान/ अंशदान /राज सहायता से रू0 64.00 लाख अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक-2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-03-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना(75 प्रतिशत के0स0)(जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता से रु0 21.72 लाख की धनराशि सुसंगत इंकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

12- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 405/वित्त अनुभाग-4/2006 दिनांक 10 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(पी0एस0जगधांगी)
अपर सचिव

संख्याः 105 /XI /05/56(71)/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)उत्तरांचलसहस्त्रधारा रोड माजरा, देहरादून
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी , चमोली/चम्पावत/हरिद्वार/देहरादून/ टिहरी ।
3- निदेशक, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना -एक एवं दो , ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली ।

क्रमशः 3 पर

4- आयुक्त गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल ।
5- जिलाधिकारी, चमोली / चम्पावत / हरिद्वार / देहरादून / टिहरी ।
6- मुख्य विकास अधिकारी / अधिशासी निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चमोली / चम्पावत / हरिद्वार / देहरादून / टिहरी ।
7- जिला विकास अधिकारी, चमोली / चम्पावत / हरिद्वार / देहरादून / टिहरी ।
8- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल, 23- लक्ष्मी रोड देहरादून ।
9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल देहरादून ।
10- निजी सचिव- मा. मुख्यमंत्री उत्तरांचल को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ
11- वित्त (बजट नियत्रक)अनुभाग -4।
12- नियोजन विभाग ।
13 वित्त बजट प्रकोष्ठ ।
14 समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।
15 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय,देहरादून ।
16 आयुक्त,गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
17 गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव ।